स्पीड पोस्ट

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
6TH Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003

सं0 PM/4/2015/MHOM2/SEOTH/RU-III

दिनांक: 26.11.2015

सेवा में,

महानिदेशक,
सीमा सुरक्षा बल,
गृह मंत्रालय,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली

विषयः इरला नं. 10282380 श्री अमरेन्द्र सिंह, समादेष्टा एवं इरला नं. 19147789 श्री बी.के. शर्मा, उप समादेष्टा 182वी वाहिनी द्वारा मानसिक रूप से परेशान करने के संबंध में श्री पप्पू मीना, सहायक समादेष्टा, 182वी वाहिनी, सीमा सुरक्षा बल का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री रवि ठाकुर के समक्ष दिनांक 12.10.2015 को हुई बैठक के कार्यवृत की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर आपको भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि कार्यवृत्त पर अनुपालन रिपोर्ट आयोग को यथाशीघ्र भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेश्वर कुमार)
सहायक निदेशक

प्रति सूचनार्थः

1. श्री पप्पू मीना, इरला नं. 11218494, सहायक समादेष्टा, 182वी वाहिनी, सीमा सुरक्षा बल (C/o 56APO) श्रीनगर एयरपोर्ट (जम्मू कश्मीर)

SSA, NIC

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

फाइल नं. पीएम/4/2015/एमएचओएम2/एसईओटीएच/आर.यू.-III

इरला नं. 10282380 श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, समादेष्टा एवं इरला नं. 19147789 श्री बी के शर्मा, उप समादेष्टा 182वी वाहिनी द्वारा मानसिक रूप से परेशान करने के संबंध में श्री पप्पू मीना, सहायक समादेष्टा, 182वी वाहिनी, सीमा सुरक्षा बल, श्रीनगर(जम्मू एंड कश्मीर) के मामले पर आयोग के उपाध्यक्ष श्री रवि ठाकुर के समक्ष दिनांक 12.10.2015 को अपराह्न 2:00 हुई बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि	-	12.10.2015
बैठक में उपस्थित	-	अनुलग्नक (क)

श्री पप्पू मीना, इरला नं. 11218494, सहायक समादेष्टा, 182वी वाहिनी, सीमा सुरक्षा बल, ने दिनांक 03.06.2015 आयोग को अपने अभ्यावेदन में अवगत कराया कि वाहिनी में उन्हें जो कार्य करने का दायित्व दिया गया है उसे वह निष्ठापूर्वक जवानों के कल्याण को देखते हुए कर रहे हैं उसने बताया कि जवानों के कल्याण की देख-रेख में भोजन देना, सब्जियां आदि सरकार के नियमों के अनुसार उच्च अधिकारियों के आदेश पर ठेकेदार के द्वारा भिजवाई जाती हैं। मैंने इसे खाने की सब्जी को जोकि ठेकेदार के द्वारा भिजवाई गई थी को निम्न स्तर(खराब) पाय जाने पर अपने उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया इस पर 182वी वाहिनी के समादेष्टा श्री अमरिन्द्र कुमार सिंह एवं उपसमादेष्टा श्री बी के शर्मा उसे परेशान करने लगे हैं और धमकी दी गई है कि उनका रिकोर्ड खराब कर दिया जाएगा। इससे श्री मीना ने अपने जीवन व सेवा रिकॉर्ड खराब करने की धमकी पर उत्पीड़न महसूस किया है।

आयोग ने महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल को नोटिस दिनांक 13.07.2015 भेजते हुए मामले पर तथ्य एवं टिप्पणी मांगी। अनुस्मरण पत्र का जवाब न आने पर अभ्यावेदक द्वारा प्रस्तुत अनुवर्ती अभ्यावेदन दिनांक 28.09.2015 को संज्ञान में रखते हुए आयोग के माननीय उपाध्यक्ष ने महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल को मामले में चर्चा के लिए दिनांक 12.10.2015 आयोग में बुलाया ।

चर्चा के लिए महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल की ओर से डीआईजी(गोपनीय), डी.सी.(सतर्कता), आईजी(कार्मिक) आयोग के समक्ष दिनांक 12.10.2015 को उपस्थित हुए।

Ravi Thakur
23-11-2015

रवि ठाकुर/RAVI THAKUR
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

श्री पप्पू मीना को बैठक में अपने प्रकरण/समस्या रखने के लिए कहा। श्री पप्पू मीना ने बताया कि 6 अप्रैल, 2015 को 182वी वाहिनी, ई-कम्पनी में वह कम्पनी कमांडर था, कम्पनी के लिए मैस कमांडर सब्जी लेकर आया था जिसका उनके द्वारा निरीक्षण किया गया जिसमें पाया कि पूरी सब्जी में लगभग 30 प्रतिशत सब्जियां खराब व सडी हुई थी जो खाने लायक नहीं थी। खराब सब्जी के बारे में उनके द्वारा रसद अधिकारी श्री बी. के. शर्मा, उपसमादेष्टा को फोन करके बताया जिस पर उन्होंने (श्री बी.के.शर्मा) खराब सब्जी को वाहिनी मुख्यालय लेकर आने को कहा। ओदशानुसार वह उक्त सब्जी को वाहिनी मुख्यालय लेकर पहुंचा जहां पर वाहिनी के बी एच एम स.उ.नि. रंजीता, निरीक्षक (सामान्य) कल्याण सिंह, स.उ.नि. नारायणा राम व सब्जी ठेकेदार जहूर रहमान आदि उपस्थित थे। इन सभी उपरोक्त की उपस्थिति में रसद अधिकारी श्री बी. के. शर्मा उप समादेष्टा ने खराब व सडी सब्जी का निरीक्षण किया तथा खराब व सडी सब्जी पाये जाने पर श्री बी. के. शर्मा उप समादष्टा ने उक्त सब्जी ठेकेदार जहूर रहमान को लौटा दी।

श्री पप्पू मीना ने आयोग को बताया कि उक्त खराब सब्जी के मामले पर समादेष्आ श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा उनको स्पष्टीकरण मांगा जिसमें उन पर आरोप लगया गया कि उक्त खराब सब्जी उनके द्वारा लौटाई गई थी। इस पर उनके द्वारा समादेष्टा महोदय को स्पष्टीकरण पत्र का जवाब दे दिया था

श्री पप्पू मीना ने आयोग को बताया कि उक्त खराब सब्जी के मुद्दे को लेकर उनको समोदष्टा एवं उपसमादेष्टा द्वारा हर प्रकार से तंग किया जा रहा है जबकि उनकी किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है। उसने आयोग को अनुरोध किया है कि उनको 182वी वाहिनी से किसी अन्य वाहिनी में स्थांतरित कर दिया जाए जिससे कि उनकी नौकरी सुरक्षित रह सके।

माननीय उपाध्यक्ष ने सीमा सुरक्षा बल के संबंधित प्राधिकारी से इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने को कहा जिस पर महानिरीक्षक, (कार्मिक) ने आयोग को बताया कि मामले में अनुशासनात्मक जांच कमेटी गठित कर दी गई है। रिपोर्ट आने पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी।

आयोग ने पाया कि सीमा सुरक्षा बल भारत का सबसे संवेदनशील बल है तथा अधिकारियों/कर्मचारियों को दिए गए दायित्वों को निभाने में वह अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार विभाग में हो रही कमियों को यदि बताते हैं तो ऐसी परिस्थिति में अधिकारियों को निगरानी रखते हुए सुधार की कार्रवाही करनी चाहिए न कि अधिकारियों/कर्मचारियों को परेशान किया जाए। ठेकेदार और भेजने वाला यदि बल की किसी भी कम्पनी में खराब सामान भेजता है तो जवानों के स्वास्थ्य/कल्याण को ध्यान में रख कर ठेकेदार और भेजने वाले के खिलाफ कार्यवाही की की जाए न कि जिम्मेदार अधिकारियों को डराया/धमकाया जाए।

आयोग ने सलाह दी कि आई.जी.(कार्मिक) अपने विभाग में सतर्कता का दिशानिर्देश दें तथा जांच कमेटी द्वारा निष्पक्ष एवं स्वच्छ कार्रवाई कर सीमा सुरक्षा बल की महत्ता को यथावत रखा जाए तथा श्री पप्पू मीना, सहायक समादेष्टा को उक्त 182वी वाहिनी से किसी अन्य वाहिनी में स्थांतरित कर दिया जाए। मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को यथाशीघ्र भेजे।

Ravi Thakur
23-11-2015

रवि ठाकुर/RAVI THAKUR
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

फा.सं. PM/4/2015/MHOM2/SEOTH/RU-III

प्रकरण में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मुख्यालय, नई दिल्ली में दिनांक 12.10.2015 को अपरान्ह 2:00 बजे हुई बैठक में भाग लेने वालों की उपस्थिति।

क्र. दां.	**नाम व पदनाम**
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	
1.	श्री रवि ठाकुर, उपाध्यक्ष, अध्यक्षता
2.	श्रीमती के.डी. बन्सौर, निदेशक
3.	श्री हरिराम मीना, वरिष्ठ अन्वेषक
सीमा सुरक्षा बल (गृह मंत्रालय)	
1.	श्री अजय कुमार तौमर, आई.जी.
2.	श्री रवि एल. जोसफ, डीआईजी (गोपनीय)
	श्री राजकुमार, डी.सी. (सर्तकता)
अभ्यावेदनकर्ता	
1.	श्री पप्पू मीना